"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2016 — कार्तिक 18, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-83/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/1350/A रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

1. श्रीमती उत्तरा देवांगन, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014 नगर पालिक निगम, धमतरी, जिला धमतरी, छ.ग.
2. श्रीमती दुर्गा सत्यवान, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014 नगर पालिक निगम, धमतरी, जिला धमतरी, छ.ग.
3. श्रीमती सरिता (वीणा) पारख, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014 नगर पालिक निगम, धमतरी, जिला धमतरी, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगर पालिक नियम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 9 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम धमतरी के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन 2014-15 में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी 2015 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम धमतरी के आम निर्वाचन 2014-15 में महापौर पद के अभ्यर्थियों में से श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), धमतरी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख को दिनांक 19 मई 2015 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए

निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख को क्रमश: दिनांक 1-6-2015, 4-6-2015 एवं 2-6-2015 को सम्यक रुप से तामील की गई. अभ्यर्थीगण श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख को कारण बताओ सूचना सम्यक् रू प से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उक्त उभय अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी श्रीमती उत्तरा देवांगन द्वारा कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना जवाब दिनांक 18-6-2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि आयोग द्वारा उन्हें भेजा गया पत्र (कारण बताओ सूचना) विलंब से प्राप्त होने के कारण जवाब भेजने में विलंब हुआ है. जवाब के साथ निर्वाचन व्यय लेखा (प्रोफार्मा-क) भी प्रस्तुत किया गया.

5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), धमतरी का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), धमतरी द्वारा ज्ञापन क्रमांक 69/स्था.निर्वा./ननिनिर्वा./प्रतिवेदन/2016 दिनांक 14-3-2016 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी श्रीमती उत्तरा देवांगन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है.

6. प्रकरण में अभ्यर्थी श्रीमती उत्तरा देवांगन को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 28 सितम्बर 2016 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. अभ्यर्थी श्रीमती उत्तरा देवांगन को सूचना दिनांक 8-9-2016 को तामील किया गया है. अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रही. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

7. प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) धमतरी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

"**14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा.-** (1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (क) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना.-** महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम धमतरी के महापौर पद के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में अर्थात् 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थियों श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावदेन भी प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी श्रीमती उत्तरा देवांगन द्वारा कारण बताओ सूचना के उपरान्त कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा के प्रस्तुत किया गया जिसमें आयोग द्वारा उन्हें भेजा गया पत्र (कारण बताओ सूचना) विलंब से प्राप्त होने के कारण जवाब भेजने में विलंब होने का उल्लेख किया गया. अभ्यर्थी ने विलंब का कोई समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी द्वारा अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी श्रीमती उत्तरा देवांगन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब किया गया है. अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. परन्तु अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुई. इस असफलता के लिए उन्होंने

कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थियों श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों श्रीमती उत्तरा देवांगन, श्रीमती दुर्गा सत्यवान यादव एवं श्रीमती सरिता (वीणा) पारख को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 28 अक्टूबर, 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.